में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर हम यह उचित समझते है कि अपीलान्ट/पटवारी को अपीलाधीन आदेश के द्वारा दिया गया दण्ड प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने तथा आनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक प्रतीत होने के कारण यथावत बहाल रखे जाने योग्य नहीं है जिसे उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में संशोधन किया जाना उचित होगा।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2019 को निरस्त करते हुए इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि ''अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने तथा दिनांक 23.7.2017 एवं 24.7.2017 अनुपस्थिति अवधि को अवैतनिक तथा सेवा में व्यवधान माने जाने के स्थान पर'' अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश दिया जाता है तथा अपीलान्ट के उक्त अनुपस्थिती दिवस की अवधि का अपीलान्ट के द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया जावे। निर्णय आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर